25/9/18

पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उप० हैं।
प्रा० पत्र अंशतः स्वीकार किया जाता है।
निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल
पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल
शुमार होकर दा० द० हो।

Scanned by CamScanner

# न्यायालय एस0डी0ओ0 साहब रामगंजमंडी

| मिसल नम्बर | तारीख दायरा | तारीख फैसला |
|---|---|---|
| 390/2014 | 12.12.2014 | 25.09.2018 |

—:: उनवान ::—

1. रामलाल आयु वर्ष आत्मज उदा जाति धाकड निवासी मदनपुरा तहसील रामगंजमंडी जिला कोटा राज0

प्रार्थी

—:: बनाम ::—

1—भूपेन्द्र आत्मज शंकरलाल जाति धाकड निवासी हाल—निवासी उंझा तहसील मेहसाणा जिला मेहसाणा

2—दी स्टेट ऑफ राज0 जर्ये तहसीलदार साहब रामगंजमंडी

प्रतिपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 आर0एल0आर0 एक्ट

उपस्थित अधिवक्ता

1. श्री एस0आर0अहीर :— वकील प्रार्थी
2. श्री बंशीलाल धाकड़ वकील प्रतिपक्षी नम्बर 1
3. पैरोकार सरकार

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ,

1. यह कि वर्तमान में वाके ग्राम रधुनाथपुरा तहसील रामगंजमंडी में प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं 1 के शामलाती खाते में खसरा नं 25/811 की 0 2500 हेक्टेयर व खसरा नं 28 की 1 08 हेक्टेयर किस्म बंजड दर्ज है।
2. यह कि पूर्व में प्रार्थी की आराजी राणाप्रताप सागर डेम क्षैत्र मे डूब मे आने के कारण विस्थापित किया जाकर प्रार्थी के पिता उदा आत्मज जौधा को खसरा नं 2 की 6 बीघा 14 बिस्वा खसरा नं 12 की 1 बीघा 11 बिस्वा कुल 8 बीघा 05 बिस्वा किस्म चरागाह को सिवायचक दर्ज कर आंवटित की जाकर मौके पर दखल दिया गया तथा लगभग 40 वर्षो से प्रार्थी के पिता व उनके बाद प्रार्थी



Scanned by CamScanner

(5)

उक्त आराजी पर कुँआ लगाकर सिंचित कर काश्तमय काबिज होकर लगातार काश्त करता आ रहा है। तथा हाल गत सेटलमेंट में खसरा नं व रकबा परिवर्तित किया जाकर आराजी प्रार्थनापत्र की मद नं 1 के मुताबिक खसरा मिन 2 के बनाम 28 व 12 मिन के स्थान पर 25/811 कायम किये गये है।

3. यह कि गत सेटलमेंट के कर्मचारिया की लापरवाही अथवा सहवन से सेटलमेंट विभाग द्वारा खसरा नं 1,2 व 12 में प्रार्थी जिस स्थान व रकबे पर वर्षो से काबिज चला आ रहा था। उसमें खसरा नं 2 मिन व 12 का नक्शा छोटा कर नये कायम खसरा नं 28 व 25/811 के पास ही त्रुटि पूर्ण अंकन कर खसरा नं 14/821 व खसरा नं 19 किस्म चरागाह भी दर्ज कर दिये गये है जबकि प्रार्थीगण पूर्व के खसरा नं 1,2,12 पर गत 40 वर्षो से आज तक उसी स्थान पर काबिज काश्त है।

4. यह कि नायब तहसीलदार साहब चेचट द्वारा दिनांक 02/09/2014 को जारी नोटिस धारा 91 एल0आर0एक्ट0 प्राप्त होने पर दिनांक 15/09/2014 को नक्शे की नकल प्राप्त करने पर प्रार्थी को जानकारी हुयी कि प्रार्थी के खाते की आराजी के राजस्व रिकार्ड में त्रुटिपूर्ण अंकन किया जाकर पूर्व ख0न0 1,2,12 के नक्शे को भी छोटा किया जाकर उसमे ख0न0 14/821 व ख0न0 19 चरागाह भी दर्ज कर दिये गये है। तथा उसके आधार पर तहसीलदार रामगंजमंडी प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है।

5. यह कि राजस्व रिकार्ड व नक्शे में उक्त त्रुटि पूर्ण अंकन किये जाने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो पर भारी कुठाराघात पॅहुचा है तथा प्रार्थी को भारी आर्थिक व मानसिक क्षति व परेशानी हो रही है व असुविधाओ का सामना करना पड रहा है, तथा अप्रार्थी नं 2 प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है जबकि प्रार्थी पूर्वानुसार अपने खाते की भूमि पर ही काबिज है।

6. यह कि ऐसी स्थिति में आवश्यक हो गया है। कि प्रार्थी माननीय न्यायालय में आवश्यक कार्यवाही कर अंकन दुरूस्त करवा कर मौके पर वास्तविक स्थिति के अनुसार ही नक्शा व जमावंदी में सही प्रविष्ठि दर्ज करायें।

7. यह कि यदि इस प्रकार उक्त सहवन से हुयी त्रुटि दुरूस्त नही फरमायी गयी या प्रार्थी को बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थी न्याय प्राप्त करने से महरूम रह



Scanned by CamScanner

जायेगा तथा प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी रूप में संभव नही हो सकेगी।

8. यह कि माननीय न्यायालय को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार प्राप्त है एवं उक्त प्रार्थना पत्र अवधि मध्य उचित न्यायशुल्क पर श्रीमान की सेवा में प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर सेटलमेंट के पूर्व ख0न0 2 व12 व उसके आस पास के नंबरान का सही अवलोकन कर मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार इंद्राज दुरूस्त फरमाया जाकर बन्दोबस्त के पूर्व राजस्व रिकार्ड व प्रार्थी के कबजे मुताबिक ही पूर्व खसरा नं 2 व 12 को सही सीमांकित फरमाया जावे एवं खसरा नं 19 तथा ख0न0 14/821 को वर्तमान कायम सीमाकित राजस्व रिकार्ड से खारिज किया जावे। तथा अन्य न्यायोचित सहायता जो भी प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी हो प्रदान फरमायी जावे एवं खर्चा कार्यवाही समस्त प्रार्थी को अप्रार्थीगण से दिलायी जावे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिपक्षी नम्बर 1 की और से पूर्व में श्री नृसिंह आचार्य विद्वान अधिवक्ता द्वारा वकालातनामा प्रस्तुत किया पुनः श्री बंशीलाल धाकड़ विद्वान अधिवक्ता द्वारा वकालातनामा एवं जवाब प्रस्तुत किया गया।

प्रतिपक्षी नम्बर 1 द्वारा इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया गया। जवाब की प्रति विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी को दिलवाई जाकर जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रतिपक्षी नम्बर 2 द्वारा निम्न प्रकार जवाब प्रस्तुत किया गया।

1 बिंदु सख्या एक अंकित तथ्य स्वीकार है।

2 बिंदु संख्या 2 में अंकित तथ्यों को सिद्व करने का दायित्व वादी का है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार मौके पर वर्तमान में खसरा न0 14/821 रकबा 0 11 हैक्टेयर किस्म चारागाह, खसरा नम्बर 19 रकबा 0.83 किस्म चारा0 खसरा 20 रकबा 0.09 है0 किस्म चारा0 खसरा नम्बर 21 रकबा 0.12 है0 किस्म चारा0 खसरा न0 22 रकबा 00 16 है0 किस्म कुल किता 5



Scanned by CamScanner

रकबा 1 31 है0 भूमि जो चारागाह के खाते दर्ज रिकार्ड है एवं प्रतिवादी न0 1 के अलावा अन्य दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार वादी व प्रतिवादी न0 1 के अलावा अन्य दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 कुल किता 6 रकबा 1 34 है0 भूमि पर काबिज काश्त कर रहे है एवं पूर्व से काश्त करते चले आ रहे है।

3 बिंदु स0 3 में अंकित तथ्यों राज्य सरकार से संबधित है।

4 बिंदु सं0 4 में अंकित तथ्य कि खसरा न0 14/821 एवं खसरा नं 19 चरागाह पर काबिज होने से 91 एल आर एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।

5 बिंदु सं0 5 में अंकित तथ्यों को सिद्व करने का दायित्व वादी का हे। मौके पर प्रार्थी पूर्वानुसार चारागाह भूमि पर काबिज हे।

6 बिंदु स0 6 माननीय न्यायालय से संबधित है।

7 बिंदु स0 7 मानीय न्यायालय से सम्बधित है। त्रुटि में शुद्वि माननीय न्यायालय के आदेशानुसार की जावेगी।

8 बिंदु सं 8 में अंकित तथ्य माननीय न्यायालय से सम्बधित है।

जमाबंदी सम्वत 2071–2074 में आराजी खसरा न0 25/811 रकबा 0.25 है0 खसरा न0 28 रकबा 1.08 है0 किता 2 रकबा 1.33 में खातेदार भूपेंद्र पुत्र शंकर लाल मॉगीबाई पुत्री उदा रामलाल पुत्र उदा दर्ज रिकार्ड है। पटवारी हल्का रिपोर्ट अनुसार ग्राम रघुनाथपुरा के आराजी खसरा न0 25/811 रकबा 0.25 है0 खसरा न0 28 रकबा 1.08 है0 किता 2 रकबा 1.33 में वादी व प्रतिवादी काबिज नही है को चारागाह दर्ज किया जाना तथा खसरा न0 14/821 रकबा 0.11 है0 किस्म चारागाह खसरा न0 19 रकबा 0 83 किस्म चारा0 खसरा न0 20 रकबा 0.09 है0 किस्म चारा0 खसरा न0 21 रकबा 0.12 है0 किस्म चारागाह खसरा न0 22 रकबा 00.16 है0 किस्म कुल किता 5 रकबा 1.31 है0 भूमि जो चारागाह के खाते दर्ज रिकार्ड है एवं आराजी खसरा न0 19/810 रकबा 0.03 है0 जो अन्य खातेदार के दर्ज है। इस प्रकार कुल 6 किता रकबा 1.34 है0 भूमि को वादी एवं प्रतिवादी न0 1 के नाम दर्ज



Scanned by CamScanner

रिकार्ड करवाना व प्रतिवादी न0 1 काबिज काश्त कर रहे। पटवारी हल्का रिपोर्ट की छाया प्रति संलग्न है।

इस प्रकार विस्तृत रिपोर्ट पटवारी व भू0अभिलेख निरीक्षक को प्रतिपक्षी नम्बर 2 द्वारा जवाब के साथ प्रस्तुत किया गया।

प्रतिपक्षी नम्बर 2 का जवाब प्रस्तुत होने पर शामिल पत्रावली किया गया तथा जवाब की प्रति विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी को दिलवाई गई।

प्रार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किये।

1. नकल जमाबन्दी ग्राम रघुनाथपुरा 2054–57 खाता नम्बर 144 किता 8 रकबा 166 बीघा 9 बिस्वा
2. ऑशिक नकल नक्शा ग्राम रघुनाथपुरा हाल
3. ऑशिक नकल नक्शा ग्राम रघुनाथपुरा साबिक
4. नकल जमाबन्दी ग्राम रघुनाथपुरा 2054–57 खाता नम्बर 1
5. नकल नक्शा ग्राम रघुनाथपुरा हाल
6. नकल फर्द मिलान ग्राम रघुनाथपुरा
7. नकल खसरा सफाई ग्राम रघुनाथपुरा 2012–2031
8. नकल खतौनी बन्दोबस्त ग्राम रघुनाथपुरा पूर्व खाता नं0 59 व 36
9. नकल आवेदन पत्र वास्ते भूमि आवंटन ग्राम रघुनाथपुरा दिनॉक 7.7.02 मय रिपोर्ट
10. नकल आवेटन आदेश ग्राम रघुनाथपुरा दिनॉक 7.7.02
11. नकल दखलनामा ग्राम रघुनाथपुरा खसरा नम्बर 2 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा व 12 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा
12. छायाप्रति मोंका रिपोर्ट पटवारी दिनॉक 29.09.1998
13. छायाप्रति भूमि अवाप्ति अधिकारी राणा प्रताप सागर बॉध कोटा के पत्र फार्म नं0 1 सन् 1961 दिनॉक 11.12.61 व किता 1 अन्य पत्र बाबत आवंटन
14. साबिक नकल नक्शा ग्राम रघुनाथपुरा मुरब्बा नम्बर
15. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी के प्रकरण संख्या 78/01 उदा बनाम सरकार की आदेशिका दिनॉक 28.02.02 से 30.07.2002 की प्रतिलिपि
16. न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी के प्रकरण संख्या 101/2014 सरकार बनाम भूपेन्द्र अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू0राजस्व अधि0 1956 के तहत जारी नोटिस की प्रति

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी , प्रतिपक्षी व पैरोकार सरकार को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी व प्रतिपक्षी नम्बर 1 के पूर्वज को ग्राम रघुनाथपुरा की चारागाह भूमि आवंटन हुई थी। उक्त भूमि राणा प्रताप सागर बॉध परियोजना में प्रार्थी व प्रतिपक्षी नम्बर 1 की भूमि डूब में आ जाने से उस भूमि के



Scanned by CamScanner

बदले में यह भूमि दी गई थी। चारागाह भूमि को सरकार के आदेश से कनवर्ट करके प्रार्थी वगैरह को आवंटित किया गया था। पूर्व में 20 बीघा भूमि आवंटित की गई तथा उसके बाद में सन् 2002 में 8 बीघा 5 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया था। उक्त दोनों आवंटन एक साथ लगवॉ भुमि के किये गये थै। बन्दोबस्त के बाद नवीन खसरा नम्बर जो बाद वाले आवंटन के बनाये गये है वह मोके से विपरीत जाकर दूर बना दिये गये है। जबकि प्रार्थी पूर्ववत आवंटन अनंसार काबिज चला आ रहा है। प्रार्थी व प्रति0 नम्बर 1 साबिक खसरा नम्बर 1 रकबा 20 बीघा , साबिक खसरा नम्बर 2 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा व 12 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा जो एक ही चक भूमि है पर सेटलमेंन्ट से पूर्ववत काबिज चले आ रहे है। किन्तु साबिक खसरा नम्बर 2 व 12 के नवीन खसरा नम्बर को खसरा नम्बर 1 रकबा 20 बीघा के पास नहीं बनाया जाकर नक्शे में कहीं दूर पैमूद कर दिया गया है , जो काबिल दुरूस्ती है। प्रार्थी को जहॉ भूमि का आवंटन किया गया था प्रार्थी वही पर पूर्ववत काबिज एवं काश्त करता चा आ रहा है। प्रार्थी द्वारा अपने खेतों में सुधार करते हुये वहॉ पर एक कुआ भी खुदवाया है तथा उसी कुये से खेत की सिचाई करते चले आ रहे है। प्रार्थी जहॉ पर काबिज काश्त है वह स्थान प्रार्थी वगैरह के नाम पर दर्ज किया जावे तथा प्रार्थी की जो भूमि प्रार्थी के कब्जे की भूमि से दूर है उसे सरकारी दर्ज कर दी जावे ताकि मोके अनुसार दुरूस्ती हो सके।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिपक्षी नम्बर 1 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थी को स्वीकार करने हेतु सहमति व्यक्त की तथा नक्शे को मोके अनुसार दुरूस्त करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब के तथ्यों को दोहराया।

बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया गया। हस्व नकल जमाबन्दी ग्राम रघुनाथपुरा सम्वत् 2054–57 खाता नम्बर 144 में से खसरा नम्बर 1 रकबा 20 बीघा भूमि प्रार्थीव प्रतिपक्षी नम्बर 1 के पिता के नाम पर आवंटन हुई थी। सन् 2006 में नामा न0 346 से उक्त आवंटीगणों को उक्त भूमि पर खातेदारी दी गई। सन् 2002 में दिनॉक 7.7.2002 को पुनः प्रार्थीगण के पूर्वज उदा पुत्र जोधा धाकड़ को ग्राम रघुनाथपुरा के ही साबिक खसरा नम्बर 2 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा तथा 12 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा भूमि आवंटित की गई थी।



... 2 व 12 किता के स्थान पर 25/811 कायम किये गये है।

Scanned by CamScanner

राणा प्रताप बॉध परियोजना के द्वारा जारी पत्र से यह प्रमाणित होता है कि तहसील चेचट में यह भूमि राणा प्रताप सांगर बॉध में ग्राम काल्याखेड़ी की भूमि आ जाने से प्रतिफलस्वरूप सरकार द्वारा 28 बीघा 5 बिस्वा दी गई है तथा रहने के लिये मकान की भूमि भी दी गई है।

उक्त भूमि साबिक खसरा नम्बर 2 व 12 पर दिये गये दखलनामें पर अंकित नक्शा से यह तथ्य प्रमाणित होते है कि साबिक खसरा नम्बर 1,2,व 12 पास पास ही स्थित थे। उक्त भूमि साबिक खसरा नम्बर 2 के हाल खसरा नम्बर 28 रकबा 1.08 हैक्टर तथा साबिक 12मिन के हाल खसरा नंबर 25/811बनाये जाकर नक्शे में साबिक 1 के हाल 11 से 15 के नजदीक नहीं बनाया जाकर उक्त भूमि के रास्ते के दूसरी तरफ पूर्व में बनाया गया है। प्रार्थी व प्रतिपक्षी नम्बर 1 हाल खसरा नम्बर 19 रकबा 083 हैक्टर , 14/821 रकबा 0.11 हैक्टर , 20 रकबा 0.09 हैक्टर , 21 रकबा 0.12 हैक्टर , 22 रकबा 0.16 हैक्टर , कुल 1.31 हैक्टर भूमि पर काबिज है। समीपस्थ 19/810 रकबा 0.03 हैक्टर भूमि पर भी प्रार्थी व प्रतिपक्षी नम्बर 1 का ही कब्जा बताया गया है। जिसमें से खसरा नम्बर 19 पर कब्जा बाबत प्रार्थी के विरूद्व धारा 91 एल0आर0एक्ट की कार्यवाही की जा रही है।

इस प्रकार प्रकरण में यह तय है कि प्रार्थी की भूमि को बन्दोबस्त के दरम्यान मोके से हटाकर अन्य स्थान पर दर्शा दिया गया है जिसे प्रार्थी दुरूस्त करवाना चाहता है। प्रतिपक्षी नम्बर 1 को आपत्ति नहीं है तथा प्रतिपक्षी नम्बर 2 सरकार को भी कोई आपत्ति नहीं है। तथा सरकार द्वारा जरिये पटवारी व भू0 अभिलेख निरीक्षक के मोका अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसके अनुसार मोके के अनुसार दुरूस्ती करने पर रिकार्ड दुरूस्त करने की तजबीज बताई गई है। तजबीज अनुसार राजपक्ष को किसी प्रकार राजस्व हानि होना संभाव्य नहीं है।

वास्तव में भू0प्रबध विभाग को मोके से हटकर नक्शे में अन्य स्थान स्थान पर प्रार्थी की भूमि को दर्शाने का कोई विधिक स्वत्व प्राप्त नहीं था विभाग द्वारा किये गये उक्त अंकन को उचित नहीं ठहराया जा सकता। ए0आई0आर0 1989 एस0सी0 1582 में उल्लेखित है कि,

The Statution Authority can not Travel beyond the Power conferred & any action without power has no legal validity . it is ab initio void & can not be ratified



Scanned by CamScanner

इस प्रकार सेटलमेंन्ट द्वारा किये गये त्रुटिपूर्ण अंकन को जिसके परिणामस्वरूप प्रार्थी अपने खाते की भूमि पर अतिचारी होकर रह गया है को उचित नहीं ठहराया जा सकता।

प्रकरण के गुणावगुण पर सम्यक विचारणोपरान्त हम पाते है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंशतः स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंशतः स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी व अप्रार्थी नम्बर 1 वगैरह के नाम पर दर्ज भूमि वाके ग्राम रघुनाथपुरा खसरा नम्बर 28 रकबा 1.08 हैक्टर व 25/811 रकबा 0.25 हैक्टर किता 2 रकबा 1.33 हैक्टर को खाते से हटाया जाकर चारागाह के रूप में दर्ज किया जावे तथा खसरा नम्बर 19 रकबा 0.83 हैक्टर , 14/821 रकबा 0.11 हैक्टर , 20 रकबा 0.09 हैक्टर , 21 रकबा 0.12 हैक्टर , 22 रकबा 0.16 हैक्टर , कुल 1.31 हैक्टर को बदले में उक्त खातेदारान् अर्थात प्रार्थी व प्रतिपक्षी नम्बर 1 आदि के नाम पर दर्ज किया जावे। राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

पत्रावली की निर्णित में गणना की जावे। रजिस्टर में खारजा लगाया जाकर बाद तामील तकमील व तरमीम दाखिल दफ्तर हो।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

निर्णय मैरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनॉक 25/09/2018 को विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया ।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी



Scanned by CamScanner